सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 37/2018

1. रणजीत
2. दलीप कुमार

} पिसरान श्री दुलीचन्द उर्फ धूडाराम जाति जाट निवासी चक 2 एच एच नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री जीतपाल सिंह सैनी अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गुरवीर सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 26.07.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 5 एम.एल. पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता सख्या 46/44 के मु0न0 54 के किला नम्बर 11 ता 15 की कुल 1.202 हैक्टर रकबा दुलीचन्द उर्फ धूडाराम के नाम से दर्ज है, दुलीचन्द उर्फ धूडाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 14.06.2014 को अपने दो पुत्रो रणजीत व दलीप कुमार के पक्ष में की थी , दुलीचन्द की मृत्यु दिनांक 04.10.2015 को होने के कारण उक्त भूमि का वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए श्योप्रकाश पुत्र दलीप कुमार ने दिनांक 19.05.2016 को तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई और दिनांक 08.08.2016 को इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। मातहत न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि इंतकाल संख्या 274 से विरास्तन प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है का आदेश दिया है जबकि पटवारी की रिपोर्ट में यह अंकित है कि उक्त रकबा इंतकाल संख्या 274 दिनांक 03.09.1996 द्वारा विरास्तन भूमि तुलछा पत्नी बेगाराम से प्राप्त हुई है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार औरत के नाम से कोई भी सम्पति उसकी स्वयं अर्जित सम्पति मानी जाती है जिस ओर मातहत न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है। इन्तकाल कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है वसीयत की दृष्टिगत इंतकाल प्रमाणित किया जाना था जो मातहत न्यायालय ने नहीं किया है। मातहत न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है। भूमि जद्दी जायदाद है या नहीं इस बिन्दु को तय करने का अधिकार तहसीलदार के पास नहीं है। नामान्तरण प्रकिया सरसरी प्रकिया है। तहसीलदार को केवल दस्तावेज के आधार पर इंतकाल करना था। तहसीलदार के पास इंतकाल को रोकने का कोई कारण नहीं था। तहसीलदार के पास अधिनियम की धारा 133(3) एवं 141 के तहत नामान्तरकरण खोलने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वसीयत के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी और ना ही पत्रावली पर कोई आपत्ति पेश थी। तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये तथा बिना सुने एकतरफा तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, अपीलांट को कोई अवसर नहीं दिया गया है, जबकि भूमि के मालिक वसीयत के आधार पर अपीलांटस है तथा मौके पर काबिज चले आ रहे है। अपीलांट इस आदेश से एग्रीवड व्यक्ति है। अपीलांट के इस आदेश से हित प्रभावित होते है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 08.08.2016 को निरस्त किया जावे तथा वसीयत के आधार पर इंतकाल अपीलांटस के नाम किये जाने का आदेश दिया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 5 एम.एल. पटवार हल्का नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता सख्या 46/44 के मु0न0 54 के किला नम्बर 11 ता 15 की कुल 1.202 हैक्टर रकबा दुलीचन्द उर्फ धूडाराम के नाम से दर्ज है। दुलीचन्द उर्फ धूडाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 14.06.2014 को अपने दो पुत्रो रणजीत व दलीप कुमार के पक्ष में की थी , दुलीचन्द की मृत्यु दिनांक 04.10.2015 को होने के कारण उक्त भूमि का वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए श्योप्रकाश पुत्र दलीप कुमार ने दिनांक 19.05.2016 को तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई और दिनांक 08.08.2016 को इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। मातहत न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि इंतकाल संख्या 274 से विरास्तन प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है का आदेश दिया है जबकि पटवारी की रिपोर्ट में यह अंकित है कि उक्त रकबा इंतकाल संख्या 274 दिनांक 03.09.1996 द्वारा विरास्तन भूमि तुलछा पत्नी बेगाराम से प्राप्त हुई है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार औरत के नाम से कोई भी सम्पति उसकी स्वयं अर्जित सम्पति मानी जाती है जिस ओर मातहत न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है। इन्तकाल कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है वसीयत की दृष्टिगत इंतकाल प्रमाणित किया जाना था जो मातहत न्यायालय ने नहीं किया है। मातहत न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है। भूमि जद्दी जायदाद है या नहीं इस बिन्दु को तय करने का अधिकार तहसीलदार के पास नहीं है। नामान्तरण प्रकिया सरसरी प्रकिया है। तहसीलदार को केवल दस्तावेज के आधार पर इंतकाल करना था। तहसीलदार के पास इंतकाल को रोकने का कोई कारण नहीं था। तहसीलदार के पास अधिनियम की धारा 133(3) एवं 141 के तहत नामान्तरकरण खोलने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वसीयत के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी और ना ही पत्रावली पर कोई आपत्ति पेश थी। तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये तथा बिना सुने एकतरफा तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, अपीलांट को कोई अवसर नहीं दिया गया है, जबकि भूमि के मालिक वसीयत के आधार पर अपीलांटस है तथा मौके पर काबिज चले आ रहे है। अपीलांट इस आदेश से एग्रीवड व्यक्ति है। अपीलांट के इस आदेश से हित प्रभावित होते है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 08.08.2016 को निरस्त किया जावे तथा वसीयत के आधार पर इंतकाल अपीलांटस के नाम किये जाने का आदेश दिया जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :–

1. आर.आर.टी. 2016–17(Supp.) 181 पेज–181 से 189

> पिता,पिता का पिता (दादा) एवं पिता के पिता का पिता (पर दादा) से एक पुरूष को प्राप्त होने वाली सम्पति मौरूसी सम्पति (Ancestral Property) कहलाती है। इस श्रेणी (Category) के अतिरिक्त यदि किसी भी स्रोत से सम्पति प्राप्त होती है तो वह मारूसी सम्पति (Ancestral Property) नहीं होकर पृथक सम्पति (Separate Property) कहलायेगी, तथा ऐसी व्यक्तिगत सम्पति को वसीयत ,दान अथवा हस्तान्तरण करने का उस व्यक्ति को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
>
> किसी व्यक्ति को अपनी माता से प्राप्त होने वाली सम्पति भी पृथक सम्पति (Separate Property) होती है तथा इसी प्रकार यदि किसी महिला को उसके पति से प्राप्त होने वाली सम्पति भी पृथक सम्पति (Separate Property) श्रेणी में आती है एवं ऐसी सम्पति को वसीयत,दान अथवा हस्तान्तरण करने का उस व्यक्ति को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपनी बहस में कथन किया कि वसीयत कर्ता को उक्त विवादित सम्पति किससे प्राप्त हुई है का कथन पत्रावली में नहीं है। इससे यही स्पष्ट साबित नहीं है कि संपति पुश्तैनी नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.08.2016 द्वारा उक्त विवादित भूमि वसीयतकर्ता को विरासतन प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, वो विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वसीयत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें वसीयतकर्ताने स्पष्ट किया है कि "उक्त सम्पति मेरी स्वयं की सम्यात है जिनका मै पूर्ण रूप से मालिक काबिज हूँ तथा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अपीलाधीन तहसीलदार श्रीगंगानगर आदेश दिनांक 08.08.2016 जिसके द्वारा उक्त विवादित भूमि विरासतन मानकर खारिज किया गया है वह विधि सम्म्त प्रतित नहीं होता है। प्रस्तुत उपरोक्त कानूनी दृष्टांत, जो कि हिन्दू अधिनियम की धारा 223 में प्राविधित है, के आलोक में वसीयतकर्ता को उक्त सम्पति अपनी माता से प्राप्त हुई थी जो पुश्तैनी नहीं होकर पृथक सम्पति है। वसीयतकर्ता को इसका व्ययन करने का पूर्ण अधिकारी प्राप्त था। इस रजिस्टर्ड वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में अभी तक चुनौती नहीं दी गई है, और न ही इसको प्रश्नगत कर के कोई विवाद ही विद्यमान है, लिहाजा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही नामान्तरकरण खालने की कार्यवाही होनी लाजिमी है। हल्का पटवारी प0म0 नेतेवाला की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2016 अनुसार वसीयतकर्ता माता को इन्तकाल सख्या 274 दिनांक 03.09.1996 द्वारा विवादित सम्पति विरासतन प्राप्त हुई है। जिसकी वो पृथक सम्पति (Separate Property) होने के कारण वसीयत करने की हकदार है क्योंकि किसी व्यक्ति को अपनी माता से प्राप्त होने वाली सम्पति भी पृथक सम्पति (Separate Property) होती है तथा इसी प्रकार किसी महिला को उसके पति से प्राप्त होने वाली सम्पति भी पृथक सम्पति (Separate Property) श्रेणी में आती है एवं ऐसी सम्पति को वसीयत,दान अथवा हस्तान्तरण करने का उस व्यक्ति को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2016 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वह वसीयतकर्ता दुलीचन्द उर्फ धूडाराम द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उसके दो पुत्रों रणजीत व दलीप कुमार के पक्ष में वसीयत में उल्लिखित भूमि का नामान्तकरण किये जाने की कार्यवाही कर बाद तस्दीक राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन करे। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर